

# ***IndusInd Bank***

चेक / लिखत संग्रहण पर नीति

संस्करण 6  
अक्टूबर 2025

इंडसइंड बैंक लि.  
कॉर्पोरेट कार्यालय  
मुंबई

## संस्करण नियंत्रण

संस्करण	दिनांक	परिवर्तन लेखक	परिवर्तन समीक्षक
1	मई 2018	संबंधित उत्पाद इकाइयाँ और बीयू (Bus)	जीबीओ
2	मई 2020	संबंधित उत्पाद इकाइयाँ और बीयू (Bus)	जीबीओ
3	मई 2021	संबंधित उत्पाद इकाइयाँ और बीयू (Bus)	जीबीओ
4	जून 2022	संबंधित उत्पाद इकाइयाँ और बीयू (Bus)	जीबीओ
5	नवंबर 2023	संबंधित उत्पाद इकाइयाँ और बीयू (Bus)	जीबीओ
6	अक्तूबर 2025	संबंधित उत्पाद इकाइयाँ और बीयू (Bus)	जीबीओ

## 1. परिचय

बैंक की यह संग्रह नीति हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और प्रदर्शन के लिए उच्च मानक निर्धारित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का प्रतिबिंब है। यह नीति ग्राहकों के उपचार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

## 2. कार्यक्षेत्र

इस दस्तावेज़ में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

- स्थानीय रूप से, भारत के भीतर और विदेश में केंद्रों पर देय चेक और अन्य लिखतों का संग्रह।
- लिखतों के संग्रह के लिए समय मानदंडों के संबंध में प्रतिबद्धता।
- उन मामलों में ब्याज का भुगतान जहां बैंक बाहरी स्थानों के लिखतों की आय की वसूली के लिए समय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है।
- ट्रांजिट में खोए हुए संग्रह लिखतों से निपटने के लिए।
- चेक अनादरण से निपटने की प्रक्रिया।

## 3. नीति का उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जिसके तहत बैंक उस ब्याज का भुगतान करेगा जो ग्राहक को ग्राहक द्वारा जमा किए गए चेक/लिखतों के संग्रहण में देरी के कारण हो सकता है, बिना इसकी मांग किए।

इस नीति के तहत प्रतिबद्धताएं बैंकर-ग्राहक विवादों का न्यायनिर्णय करने के लिए विधिवत गठित किसी भी मंच के समक्ष अपनी स्थिति का बचाव करने के बैंक के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।

उन ग्राहकों के लिए चेक/लिखतों के संग्रहण में देरी जिन्होंने दिन की व्यवस्था के तहत या अन्यथा नकद प्रबंधन सेवाओं के तहत ऐसे चेक/लिखतों के क्रेडिट के लिए लाभ उठाया है, सीएमएस समझौते के अनुसार आपसी सहमति वाली शर्तों और/या किसी भी समझ और/या किसी भी समझौते और/या किसी भी अनुबंध और/या किसी भी लिखित दस्तावेज़ जो निष्पादित किया गया हो और उक्त आपसी सहमति वाली शर्तों का प्रमाण देता हो, द्वारा शासित होगी।

## 4. नीति

## 4.1 संग्रहण के लिए व्यवस्था:

### 4.1.1 स्थानीय चेक

ग्रिड प्रणाली के तहत देय सभी चेक ट्रंक्शन सिस्टम (सीटीएस) अनुरूप चेक और अन्य परक्राम्य लिखत केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्दिष्ट कट-ऑफ समय से पहले शाखा काउंटरों और शाखा परिसर के भीतर संग्रह बक्सों में जमा किए गए चेक को सतत समाशोधन प्रक्रिया के तहत समय-समय पर आरबीआई/एनपीसीआई द्वारा परिभाषित समाशोधन चक्रों के अनुसार समाशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

### 4.1.2 आउटस्टेशन चेक

आउटस्टेशन केंद्रों पर अन्य बैंकों पर आहरित चेक आमतौर पर उन केंद्रों पर बैंक की शाखाओं के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। जहां बैंक की शाखा नहीं है, लिखत सीधे संग्रहण के लिए आहर्ति बैंक को भेजा जाएगा या संपर्क बैंक के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। बैंक उन केंद्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रीय समाशोधन सेवाओं का भी उपयोग करेगा जहां ऐसी संग्रह सेवाएं मौजूद हैं।

आउटस्टेशन केंद्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेक प्रचलित अंतर-शाखा व्यवस्थाओं का उपयोग करके एकत्र किए जाएंगे। शाखाएं अपनी किसी भी शाखा पर आहरित आउटस्टेशन लिखतों के संबंध में अपने ग्राहकों को उसी दिन क्रेडिट प्रदान करेंगी।

बैंक अपने ग्राहकों द्वारा संग्रह के लिए जमा किए गए आउटस्टेशन चेक स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा।

नकद प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) के तहत, उन स्थानों पर सीएमएस ग्राहकों को अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित उत्पाद प्रदान किए जाते हैं जहां आईबीएल शाखा मौजूद नहीं है -

- अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहक परिसर से चेक उठाना और उन स्थानों पर संपर्क बैंकों में समाशोधन के लिए चेक जमा करना।
- रिमोट चेक स्कैनिंग मॉडल - ग्राहक परिसर से चेक उठाने, चेक स्कैन करने और संबंधित सीटीएस ग्रिड से मैप किए गए सीएमएस हब के माध्यम से समाशोधन में प्रस्तुत करने के लिए एक विक्रेता नियुक्त किया जाता है। बाद में विक्रेता द्वारा भौतिक चेक सीएमएस हब को भेजे जाते हैं।

### 4.1.3 स्पीड क्लियरिंग

निर्दिष्ट स्थानों पर स्पीड क्लियरिंग में भाग लेने वाले बैंकों पर आहरित आउटस्टेशन चेक एकत्र किए जाएंगे और स्थानीय चेकों के समान माने जाएंगे। स्थानीय समाशोधन लिखतों के लिए लागू सभी नियम और शर्तें स्पीड क्लियरिंग पर भी लागू होंगी।

बैंक द्वारा सभी ग्राहकों को बिना किसी मूल्य सीमा के मल्टी-सिटी/पेएबल एट पार सीटीएस 2010 मानकीकृत चेक जारी किए जाते हैं।

#### 4.1.4 विदेशी देशों में देय चेक

विदेशी मुद्रा चेक संबंधित विदेशी केंद्रों पर संपर्क बैंकों या आहर्ति बैंक को भेजे जाएंगे जहां बैंक का संपर्क बैंक नहीं है, संपर्क बैंकों में से एक के साथ बनाए गए बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में आय जमा करने के निर्देशों के साथ।

#### 4.1.5 खाता धारक चेक का संग्रह - तीसरे पक्ष के खाते में आय जमा करने पर प्रतिबंध

कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप और विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के इरादे के अनुरूप और बैंकों को अनधिकृत संग्रहों से उत्पन्न देनदारियों से बोझित होने से बचाने के लिए, और भुगतान और बैंकिंग प्रणालियों की अखंडता और मजबूती के हित में, और हाल के अतीत में देखे गए विचलनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रिजर्व बैंक ने बैंकों को 'खाता धारक' चेक को उसमें नामित पेयी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने से प्रतिबंधित करना आवश्यक समझा है।

#### 4.1.6 स्वीकृति के लिए समय:

##### (i) चेक के लिए आउटस्टेशन संग्रह समय

काउंटर पर प्राप्त या शाखाओं में स्थित चेक ड्रॉप-बॉक्स में डाले गए चेक के आउटस्टेशन संग्रह के लिए भेजने की कट-ऑफ समय हमारी शाखाओं में इंगित किया जाएगा। कट-ऑफ-टाइम समाशोधन गृह द्वारा प्रदान किए गए कट ऑफ समय और समाशोधन केंद्र से शाखा की दूरी के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए तैयार किया जाएगा।

नकद प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) के तहत, ग्राहकों को चेक पिकअप सुविधा प्रदान की जाती है और उसी दिन समाशोधन में प्रस्तुत करने के लिए चेक के पिकअप की कट-ऑफ टाइमिंग शाखा से ग्राहकों के स्थान की दूरी पर निर्भर करती है और रसद व्यवस्था की व्यवहार्यता के दौरान ग्राहक को यह सूचित किया जाता है।

##### (ii) शाखाओं में जमा किए गए और ऑफ-साइट और ऑन-साइट एटीएम बॉक्स में डाले गए स्थानीय चेक

शाखा काउंटरों और शाखा परिसर के भीतर संग्रह बॉक्स में निर्दिष्ट कट-ऑफ समय से पहले जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। कट-ऑफ टाइम के बाद और शाखा परिसर के बाहर संग्रह बॉक्स में जमा किए गए चेक, जिसमें एटीएम भी शामिल हैं, अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। संग्रह के लिए चेक भेजने का कट-ऑफ समय प्रत्येक स्थान पर समाशोधन गृह द्वारा प्रदान किए गए कट-ऑफ समय के आधार पर प्रत्येक स्थान/शाखा के लिए तैयार किया जाएगा। कट-ऑफ समय ग्राहकों के लिए शाखाओं/एटीएम ड्रॉप बॉक्स पर प्रदर्शित किया जाएगा।

#### 4.1.7 स्थानीय / आउटस्टेशन चेक / लिखतों का तत्काल क्रेडिट

शाखाएं व्यक्तिगत खाता धारकों द्वारा संग्रह के लिए प्रस्तुत ₹15,000/- के कुल मूल्य तक के आउटस्टेशन चेक/लिखतों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान करने पर विचार करेंगी, जो ऐसे खातों के संतोषजनक संचालन के अधीन है, जिनकी अवधि 6 महीने से कम नहीं है। ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार ऐसे संग्रह लिखतों के खिलाफ तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। तत्काल क्रेडिट की सुविधा उन केंद्रों पर स्थानीय चेकों के संबंध में भी उपलब्ध कराई जाएगी जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह मौजूद नहीं है।

तत्काल क्रेडिट की सुविधा ग्राहकों के बचत बैंक / चालू / नकद क्रेडिट खातों पर प्रदान की जाएगी। इस सुविधा को बढ़ाने के लिए खाते में न्यूनतम शेष राशि की कोई अलग शर्त नहीं होगी।

इस नीति के तहत, डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज / लाभांश वारंट जैसे प्रीपेड लिखतों को चेकों के समान माना जाएगा।

इस नीति के प्रयोजन के लिए, एक संतोषजनक रूप से संचालित खाता वह होगा।

- कम से कम 6 महीने पहले खोला गया हो और केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करता हो।
- जिसका संचालन संतोषजनक रहा है और बैंक ने कोई अनियमित लेनदेन नहीं देखा है।
- जहां कोई चेक / लिखत जिसके लिए तत्काल क्रेडिट दिया गया था, वित्तीय कारणों से अवैतनिक नहीं लौटाया गया।
- जहां बैंक को तत्काल क्रेडिट देने के बाद लौटाए गए चेक सहित अतीत में अग्रिम किसी भी राशि की वसूली में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ है।
- पिछले 2 तिमाहियों के लिए लागू औसत मासिक शेष बनाए रखा जाना है। बैंक संग्रह के लिए प्रस्तुत आउटस्टेशन लिखतों के खिलाफ तत्काल क्रेडिट प्रदान करते समय सामान्य संग्रह शुल्क और जेब से खर्च लगाएगा। चेक खरीद के लिए लागू विनिमय शुल्क, हालांकि, नहीं लगाया जाएगा।

तत्काल क्रेडिट की सुविधा स्पीड क्लियरिंग व्यवस्था के तहत एकत्र किए गए चेक पर लागू नहीं होगी।

#### 4.1.8 स्थानीय/आउटस्टेशन चेकों की खरीद

बैंक, अपने विवेकानुसार, ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रह के लिए प्रस्तुत स्थानीय/आउटस्टेशन चेक खरीद सकता है। खाते के संतोषजनक संचालन के अलावा, चेक के आहरणकर्ता की स्थिति भी चेक खरीदते समय विचार किया जाने वाला एक कारक होगा। स्थानीय/आउटस्टेशन चेकों की खरीद के लिए ब्याज समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा।

## 4.2 स्थानीय/आउटस्टेशन चेक/लिखतों के संग्रह के लिए समय सीमा:

4.2.1 समाशोधन में प्रस्तुत स्थानीय चेकों के लिए समाशोधन में धनराशि के निपटान की तिथि के अनुसार क्रेडिट प्रदान किया जाएगा और खाताधारक को प्रचलित रिटर्न क्लियरिंग मानदंडों के अनुसार धनराशि निकालने की अनुमति दी जाएगी।

4.2.2 संग्रह के लिए भेजे गए चेकों और अन्य लिखतों के लिए निम्नलिखित समय मानदंड लागू किए जाएंगे, लेकिन क्रेडिट केवल चेक/लिखतों की आय प्राप्त होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

### 4.2.3 देश के भीतर केंद्रों पर देय चेक/लिखत

#### (i) हमारी शाखाओं पर आहरित चेक:

a. शाखाएं अपनी किसी भी शाखा पर आहरित लिखतों के संबंध में अपने ग्राहकों को उसी दिन क्रेडिट प्रदान करेंगी।

#### (ii) अन्य बैंकों की शाखाओं पर आहरित चेक:

##### i. जहां इंडसइंड बैंक की शाखा है:

- किसी भी राज्य की राजधानी में प्रस्तुत और चेक प्रस्तुत किए जाने के स्थान के अलावा किसी अन्य राज्य की राजधानी में देय चेक: अधिकतम 7 कार्य दिवसों की अवधि।
- प्रमुख शहरों पर आहरित चेक: अधिकतम 10 कार्य दिवसों की अवधि।
- अन्य केंद्रों पर आहरित चेक: अधिकतम 14 कार्य दिवसों की अवधि।

##### ii. जहां इंडसइंड बैंक की शाखा नहीं है:

- मेट्रो और शहरी केंद्रों पर आहरित चेक (उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम के अलावा): अधिकतम 10 कार्य दिवसों की अवधि।
- सभी अन्य केंद्रों पर आहरित चेक: अधिकतम 14 कार्य दिवसों की अवधि।

### 4.2.4 विदेशी देशों में देय चेक/लिखत:

विदेशी देशों पर आहरित चेक 'सर्वोत्तम प्रयास आधार' पर संग्रह के लिए स्वीकार किए जाते हैं। बैंक सामान्य क्लियरिंग अवधि को ध्यान में रखने के बाद संपर्क बैंक के साथ बैंक के नोस्ट्रो खाते में आय के क्रेडिट पर पार्टी को धनराशि जारी करेगा।

- कैश लेटर क्रेडिट के मामले में, क्लियरिंग अवधि हमारे नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट (मूल्य तिथि) की तारीख से 15 कार्य दिवस है।
- अंतिम क्रेडिट आधार पर संभाले गए लिखतों के मामले में कोई क्लियरिंग अवधि नहीं है।

- फंड के आवेदन की तारीख के अनुसार प्रचलित विनिमय दर (खरीद)।
- ग्राहक खाते में क्रेडिट की नियत तिथि की गणना नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की मूल्य तिथि और ऊपर निर्धारित सामान्य क्लिंग अवधि को ध्यान में रखकर की जाएगी।

### 4.3. विलंबित संग्रह के लिए ब्याज का भुगतान

#### 4.3.1 देश के भीतर केंद्रों पर देय चेक/लिखत

बैंक सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना ऊपर उल्लिखित निर्धारित समय अवधि से परे क्रेडिट प्रदान करने में देरी होने के मामले में संग्रह लिखतों की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। विलंबित संग्रह पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य से बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों पर आहरित लिखतों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

विलंबित संग्रह के लिए ब्याज निम्नलिखित दरों पर भुगतान किया जाएगा:

- a) स्थानीय चेकों के संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा से परे देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर।
- b) आउटस्टेशन चेक/लिखतों के संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा से परे देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर।
- c) जहां देरी निर्धारित समय सीमा से 14 दिनों से अधिक है, ब्याज संबंधित अवधि के लिए लागू सावधि जमा की दर पर भुगतान किया जाएगा।
- d) असाधारण देरी के मामले में, अर्थात् 90 दिनों से अधिक की देरी, ब्याज संबंधित सावधि जमा दर से 2% अधिक की दर पर भुगतान किया जाएगा।
- e) यदि संग्रह के तहत चेक की आय को ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किया जाना था, तो ब्याज ऋण खाते के लिए लागू दर पर भुगतान किया जाएगा। असाधारण देरी यानी 90 दिनों से अधिक की देरी के लिए, ब्याज ऋण खाते के लिए लागू दर से 2% अधिक दर पर भुगतान किया जाएगा।

#### 4.3.2 विदेशी देशों पर आहरित चेक

यूएसए में देय अमेरिकी डॉलर लिखत की वसूली में लगने वाला समय संग्रह व्यवस्था और जिस स्थान पर लिखत देय है, के आधार पर 7-10 दिनों से लेकर 30-45 दिनों तक का हो सकता है। अमेरिका में बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में विविधता और चेक लेनदेन को नियंत्रित करने वाले कानून में जटिलताओं का संग्रह समय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मौजूदा अमेरिकी नियमों के अनुसार, परिवर्तित चेक के लिए वापसी देयता 1 वर्ष और जालसाजी के लिए 3 वर्ष तक रहेगी। क्लिंग अवधि वह समय है जिसके लिए बैंक पार्टी को क्रेडिट देने से पहले अमेरिकी कानून के प्रावधान के तहत भुगतानकर्ता बैंक द्वारा चेक की संभावित वापसी के लिए चेक की राशि के लिए अनंतिम क्रेडिट प्राप्त करने के बाद इंतजार करता है।

इसलिए, बैंक विदेशी देशों को भेजे गए विदेशी मुद्राओं में नामित चेकों के संग्रह में देरी के लिए ग्राहक को मुआवजा नहीं देगा। इसी तरह की स्थिति अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य लिखतों और अमेरिका के अलावा अन्य देशों के लिए भी है। अनंतिम रूप से समाशोधित लिखतों की वापसी के लिए समय मानदंड भी देश-देश में भिन्न होते हैं। हालांकि, बैंक फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार अपने संपर्क बैंक के साथ बैंक के नोस्ट्रो खाते में आय जमा होने के बाद क्रेडिट प्रदान करने में अनुचित देरी के लिए ग्राहक को मुआवजा देगा। ऐसा मुआवजा निर्धारित सामान्य क्लिंग अवधि को ध्यान में रखने के बाद क्रेडिट के लिए देय राशि के दिन से परे देरी के लिए दिया जाएगा।

#### ऐसे मामलों में मुआवजे की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

- ₹1 लाख के बराबर राशि तक के चेक/लिखतों के लिए: यदि आय नियत तिथि (नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की मूल्य तिथि और सामान्य क्लिंग अवधि) से 10 दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो विलंबित अवधि के लिए लागू बचत बैंक ब्याज दर से 2% अधिक @ ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- ₹1 लाख के बराबर राशि से अधिक के चेक/लिखतों के लिए: बिंदु (a) के अलावा, यदि ग्राहक को नियत तिथि (नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट की मूल्य तिथि और सामान्य क्लिंग अवधि) से 3 कार्य दिवसों के भीतर (शनिवार को कार्य दिवस के रूप में गिनते हुए) सूचना नहीं भेजी जाती है, तो विलंबित अवधि के लिए लागू बचत बैंक ब्याज दर से 2% अधिक @ ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- उपरोक्त (a) और (b) के मामले में, विदेशी मुद्रा दर में प्रतिकूल आंदोलन के कारण किसी भी संभावित नुकसान के लिए मुआवजा।

#### 4.4 पारगमन में / समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतान बैंक की शाखा में खोए हुए चेक / लिखत:

यदि संग्रह के लिए स्वीकार किया गया चेक या लिखत पारगमन में या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, तो बैंक नुकसान की जानकारी होने पर तुरंत खाताधारक को सूचित करेगा ताकि खाताधारक आहरणकर्ता को भुगतान रोकने के लिए अभिलेखित करने के लिए सूचित कर सके और साथ ही उसके द्वारा जारी किए गए चेकों, यदि कोई हों, का ध्यान रख सके जो खोए हुए चेक/लिखतों की राशि के गैर-क्रेडिट के कारण अनादरित न हों। बैंक ग्राहक को चेक के आहरणकर्ता से डुप्लिकेट लिखत प्राप्त करने के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा।

ऐसे मामलों में बैंक हमारी ओर से सेवा में कमी के कारण ग्राहक द्वारा किसी भी ब्याज हानि/शुल्क के भुगतान के लिए मुआवजा देगा, जो सीधे बैंक के कार्य या चूक के कारण हो और ऐसे मामलों में मुआवजा निम्नानुसार होगा:

- यदि लिखत के नुकसान के संबंध में सूचना ग्राहक को संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा से परे दी जाती है, तो ऊपर निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित संग्रह अवधि से अधिक देरी की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

- b) इसके अतिरिक्त, बैंक डुप्लिकेट चेक/लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रह में होने वाली संभावित अतिरिक्त देरी के लिए बचत बैंक दर पर चेक की राशि पर 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।
- c) बैंक ग्राहक द्वारा डुप्लिकेट चेक/लिखत प्राप्त करने में होने वाले किसी भी उचित शुल्क की भी रसीद प्रस्तुत करने पर क्षतिपूर्ति करेगा, यदि लिखत किसी ऐसे बैंक/संस्थान से प्राप्त किया जाना है जो डुप्लिकेट लिखत जारी करने के लिए शुल्क लेता है।

#### 4.5. अवैतनिक वापस किए गए चेकों पर ब्याज का प्रभार:

##### 4.5.1 स्थानीय / आउटस्टेशन चेकों का तत्काल क्रेडिट और खरीद:

यदि संग्रह के लिए भेजा गया चेक/लिखत जिसके लिए बैंक ने तत्काल क्रेडिट प्रदान किया या खरीदा है, अवैतनिक वापस किया जाता है, तो चेक का मूल्य तुरंत खाते से डेबिट कर दिया जाएगा। ग्राहक को तत्काल क्रेडिट/खरीद की तारीख से लिखत की वापसी की तारीख तक कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि बैंक धनराशि की निकासी के कारण धन से बाहर न रहा हो। लागू होने पर ब्याज बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार खाते में काल्पनिक ओवरड्रॉन शेष पर लगाया जाएगा जैसे कि प्रारंभ में क्रेडिट नहीं दिया गया था।

यदि चेक की आय बचत बैंक खाते में जमा की गई थी और निकाली नहीं गई थी, तो जब चेक अवैतनिक वापस किया जाता है, तो इस प्रकार जमा की गई राशि ब्याज के भुगतान के लिए योग्य नहीं होगी। यदि आय ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की गई थी, तो क्रेडिट की तारीख से प्रविष्टि के उलट होने की तारीख तक ओवरड्राफ्ट/ऋण पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा, यदि चेक/लिखत अवैतनिक वापस किया जाता है, तो उस सीमा तक जिस तक बैंक धन से बाहर था।

##### 4.5.2 विदेशी देशों पर आहरित चेकों के लिए दिया गया क्रेडिट:

विदेशी संपर्क बैंक द्वारा किसी भी समय विदेशी मुद्रा चेक/लिखत को इस कारण से वापस किया जाना कि उक्त विदेशी मुद्रा चेक/लिखत जाली है और वास्तविक नहीं है या अन्यथा किसी भी कारण से, ग्राहक को किसी भी समय मांग पर उक्त चेक/लिखत की राशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी और साथ ही सभी दावों की राशि या कुल राशि भी, जिसमें लागत, कानूनी या अन्यथा शामिल हैं, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई हो, जिसमें हमारा संग्रह बैंक, कार्यालय, संपर्क या एजेंट शामिल हैं, जिसे विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव के कारण विनिमय में अंतर सहित भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है या मजबूर किया जा सकता है, क्रेडिट की तारीख से प्रविष्टि के उलट होने की तारीख तक प्रचलित क्लीन ओवरड्राफ्ट पर लागू कमीशन और ब्याज के साथ और हमारे द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी खर्च सहित हमारे संग्रह बैंक, कार्यालय, संपर्क और किसी अन्य ऐसे संबंधित पक्ष को शामिल है।

## 4.6. अनादरित चेकों से निपटने की प्रक्रिया

### 4.6.1 तकनीकी वापसी के पुनः प्रस्तुतिकरण में देरी और ऐसी वापसी के लिए शुल्क लगाना:

4.6.1.1 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुछ वापस किए गए चेकों को बैंक द्वारा ग्राहकों के संदर्भ के बिना पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जैसे प्रभाव साफ नहीं हुए - फिर से प्रस्तुत करें, एनकोडिंग त्रुटियां, छवि स्पष्ट नहीं - कागज के साथ फिर से प्रस्तुत करें, सूचीकरण त्रुटि (अधिक/कम दावा), सलाह प्राप्त नहीं हुई, अन्य कारण - कनेक्टिविटी विफलता, आदि।

1. सभी बाहरी चेक जिन्हें भुगतानकर्ता के पास किसी भी सहारे के बिना फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, उन्हें तत्काल अगले प्रस्तुतिकरण समाशोधन में 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) से अधिक देरी नहीं होगी।
2. पंजीकृत मोबाइल ग्राहकों के लिए एक एसएमएस अलर्ट भी भेजा जाएगा जिसमें ग्राहकों को पुनः प्रस्तुतिकरण के बारे में सूचित किया जाएगा।
3. वापस किए गए चेक जिन्हें फिर से प्रस्तुत नहीं किया जाना है, अगले 24 घंटों के दौरान कूरियर द्वारा ग्राहकों को भेजे जाएंगे, जब तक कि शाखाओं से इन्हें एकत्र नहीं किया जाता।

### 4.6.1.2 अनादरित चेक पर शुल्क:

चेक वापसी शुल्क उन मामलों में नहीं लगाया जाएगा जहां ग्राहक गलती पर नहीं है और ऐसी वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं है।

### 4.6.2 अनादरित चेक की वापसी/प्रेषण की प्रक्रिया:

4.6.2.1 भुगतान शाखा को समाशोधन गृहों के माध्यम से प्रस्तुत अनादरित चेक को बैंकर्स क्लियरिंग हाउसेस के यूनिफॉर्म रेगुलेशन एंड रूल्स के अनुसार संबंधित क्लियरिंग हाउस के लिए निर्धारित रिटर्न अनुशासन के अनुसार कड़ाई से वापस करना चाहिए।

4.6.2.2 सभी खातों के संबंध में धनराशि की कमी के कारण अनादरित चेकों को ज्ञापन के साथ वापस किया जाना चाहिए जिसमें अनादरण का कारण "अपर्याप्त धनराशि" के रूप में दर्शाया गया हो।

## 4.7 अनादरित चेक / नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) पर जानकारी

4.7.1 निर्दिष्ट सीमा से ₹50 लाख रुपये और उससे अधिक तथा ₹50 लाख रुपये से कम की राशि के प्रत्येक अनादरित चेक / एनएसीएच लेनदेन के संबंध में डेटा, घटकों पर बैंक के एमआईएस का हिस्सा होगा। रिपोर्ट केंद्रीय रूप से उपलब्ध होंगी और शाखाओं को महीने के अंत में रिपोर्ट डाउनलोड करनी चाहिए और लगातार वापसी के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करनी चाहिए और उसे कॉर्पोरेट कार्यालय को रिपोर्ट करना चाहिए।

4.7.2 स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित और अनादरित चेकों के संबंध में डेटा को मूल्य की परवाह किए बिना शाखाओं द्वारा अलग से समेकित किया जाना चाहिए और कॉर्पोरेट कार्यालय को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

## 4.8 बार-बार अनादरण की घटनाओं से निपटना

### 4.8.1 ₹50 लाख और उससे अधिक के चेक / एनएसीएच लेनदेन के बार-बार अनादरण से निपटना

- (i) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर आहरित ₹50 लाख और उससे अधिक मूल्य के चेक / एनएसीएच लेनदेन 4 अवसरों पर अनादरित होते हैं, तो कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। चेक सुविधा की निरंतरता या अनब्लॉकिंग के लिए, एक अपवाद के रूप में, संबंधित व्यवसाय खंड के उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। बैंक अपने विवेकानुसार चालू खाता बंद करने पर भी विचार कर सकता है। हालांकि, अग्रिम खातों जैसे कैश क्रेडिट खाता, ओवरड्राफ्ट खाता के संबंध में, इन क्रेडिट सुविधाओं और इन खातों से संबंधित चेक सुविधा की निरंतरता या अन्यथा की आवश्यकता की समीक्षा स्वीकृति प्राधिकारी से उच्च उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (ii) मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में ऊपर (i) में उल्लिखित शर्त के परिचय के प्रयोजनों के लिए, बैंक ग्राहक को जारी की गई चेक बुक में नई शर्त का संकेत देगा और नई शर्त खाता विवरण में जारी की जाएगी जिसमें घटकों को सूचित किया जाएगा।
- (iii) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर ₹50 लाख और उससे अधिक मूल्य के मामले में चेक / एनएसीएच लेनदेन तीसरी बार अनादरित होता है, तो बैंक संबंधित घटक को सावधानीपूर्वक सलाह जारी करेगा, जिसमें उसका ध्यान उपरोक्त शर्त और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते पर ₹50 लाख और उससे अधिक मूल्य के लिए चौथे अवसर पर चेक अनादरित होने की स्थिति में चेक सुविधा के परिणामी रोक की ओर आकर्षित किया जाएगा। सावधानीपूर्वक सलाह जारी न करने के लिए, एक अपवाद के रूप में, संबंधित व्यवसाय खंड के उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- (iv) यदि उचित समझा जाए, तो बैंक 15 दिनों का पर्याप्त नोटिस दे सकता है और शुल्क / बकाया, यदि कोई हो, की वसूली करके और शेष राशि को पंजीकृत डाक द्वारा बैंक के रिकॉर्ड पर पते पर भुगतान आदेश / ड्राफ्ट द्वारा भेजकर खाता बंद कर सकता है।

### 4.8.2 ₹50 लाख से कम मूल्य के चेक / एनएसीएच लेनदेन के बार-बार अनादरण से निपटना

- (i) यदि तिमाही के दौरान खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर आहरित ₹50 लाख से कम मूल्य के चेक / एनएसीएच लेनदेन 6 अवसरों पर अनादरित होते हैं, तो कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। चेक सुविधा की निरंतरता या अनब्लॉकिंग के लिए, एक

अपवाद के रूप में, संबंधित व्यवसाय खंड के उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। बैंक अपने विवेकानुसार खाता बंद करने पर भी विचार कर सकता है। हालांकि, अग्रिम खातों जैसे कैश क्रेडिट खाता, ओवरड्राफ्ट खाता के संबंध में, इन क्रेडिट सुविधाओं और इन खातों से संबंधित चेक सुविधा की निरंतरता या अन्यथा की आवश्यकता की समीक्षा स्वीकृति प्राधिकारी से उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

- (ii) मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में ऊपर (i) में उल्लिखित शर्त के परिचय के प्रयोजनों के लिए, बैंक चेक बुक में नई शर्त का संकेत देगा और ग्राहक को जारी स्वीकार करते समय और नई शर्त खाता विवरण में जारी की जाएगी जिसमें घटकों को सूचित किया जाएगा।
- (iii) यदि तिमाही के दौरान आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर ₹50 लाख से कम मूल्य के मामले में चेक / एनएसीएच लेनदेन 5वीं बार अनादरित होता है, तो बैंक सावधानीपूर्वक सलाह जारी करेगा, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अधिक उदाहरण से ग्राहक चेक-बुक/एनएसीएच अधिदेश की सुविधा का लाभ उठाने से वंचित हो जाएगा। सावधानीपूर्वक सलाह जारी न करने के लिए, एक अपवाद के रूप में, संबंधित व्यवसाय खंड के उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- (iv) यदि उचित समझा जाए, तो बैंक 15 दिनों का पर्याप्त नोटिस दे सकता है और शुल्क / बकाया, यदि कोई हो, की वसूली करके और शेष राशि को पंजीकृत डाक द्वारा बैंक के रिकॉर्ड पर पते पर भुगतान आदेश / ड्राफ्ट द्वारा भेजकर खाता बंद कर सकता है।

#### 4.9 सामान्य

- (i) किसी भी कार्यवाही में चेक के अनादरण के तथ्य को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता (अर्थात् अनादरित चेक के भुगतानकर्ता/धारक) की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अदालत, उपभोक्ता मंच या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनादरित चेक से संबंधित, बैंक पूर्ण सहयोग देगा, और उसे चेक/एनएसीएच अधिदेश के अनादरण के तथ्य का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- (ii) बैंक नीति में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार रखता है और शाखाओं के नोटिस बोर्ड/वेब साइट पर इसका प्रदर्शन ग्राहकों को उक्त परिवर्तन की पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

#### 4.10 बिल संग्रह

बिलों के संग्रह में देरी के मामले में, बैंक बिलों के संग्रह के संबंध में विलंबित अवधि के लिए प्रस्तुतकर्ता को बचत बैंक खातों के शेष पर देय ब्याज दर से 2% प्रति वर्ष अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। विलंबित अवधि की गणना (i) बिलों के प्रेषण; (ii) आहर्तियों के बिलों के प्रस्तुतिकरण। (iii) प्रस्तुतकर्ता के बैंक को आय का प्रेषण। (iv) आहरणकर्ता के खाते में आय जमा करने के लिए प्रत्येक के लिए 2 दिनों की समय सीमा के आधार पर सामान्य पारगमन अवधि के लिए भत्ता देने के बाद की जाएगी।

जिस हद तक देरी आहर्ती के बैंक के कारण होती है, प्रस्तुतकर्ता का बैंक ऐसी देरी के लिए आहर्ती बैंक से ब्याज वसूल कर सकता है।

#### 4.11 अप्रत्याशित घटना

बैंक विलंबित क्रेडिट के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि कोई अप्रत्याशित घटना (जिसमें नागरिक अशांति, तोड़फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य श्रम अशांति, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य "ईश्वरीय कृत्य", युद्ध, बैंक की सुविधाओं या उसके संपर्क बैंक(कों) को नुकसान, संचार के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन की अनुपस्थिति, आदि शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) बैंक के नियंत्रण से परे, उसे निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकती है।

#### 4.12 अवशिष्ट गैर-सीटीएस-2010 मानक चेक के समाशोधन के लिए व्यवस्था

तीन सीटीएस ग्रिड के लिए अलग समाशोधन सत्र दिसंबर 2018 से आरबीआई द्वारा बंद कर दिया गया है। हालांकि, एमआईसीआर/नॉन एमआईसीआर स्थानों पर समाशोधन प्रसंस्करण करने वाली शाखाएं सामान्य संचालन में नॉन सीटीएस चेक प्रस्तुत करना जारी रख सकती हैं।

सभी परिचालन पहलुओं के लिए मौजूदा प्रक्रिया जैसे (a) पहचान किया गया समाशोधन दिन छुट्टी पर पड़ता है (b) नियमित सीटीएस समाशोधन आदि में प्रस्तुत किए जाने पर गैर-अनुपालन चेकों की वापसी, का पालन जारी रहेगा। नॉन सीटीएस सत्र का समय वही रहेगा।

ग्राहकों को चेक संग्रह में देरी से बचने के लिए केवल सीटीएस लिखतों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

#### 4.11 ग्राहक शिक्षा

- चेक/लिखतों के संग्रह पर नीति बैंक की वेबसाइट <https://www.indusind.bank.in> पर प्रदर्शित की जाएगी
- नीति की एक प्रति सभी शाखाओं के स्वागत कक्ष/शाखा प्रबंधक से प्राप्त की जा सकती है।
- नीति की मुख्य विशेषताएं हमारे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी।

#### 4.12 सेवा शुल्क

सभी संग्रह सेवाओं के लिए बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित और ग्राहक को संप्रेषित उपयुक्त सेवा शुल्क वसूल करेगा जैसा कि बैंक द्वारा अपनाए गए ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता के कोड में इंगित किया गया है।

#### 4.13 चेक ट्रंक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम

भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई द्वारा चेक ट्रंक्शन सिस्टम (सीटीएस) के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम स्थापित करने के लिए परिपत्र आरबीआई/2020-21/41 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी नंबर 309/04.07.005/2020-21 दिनांक 25 सितंबर 2020 जारी किया है।

यह सुविधा ₹50,000 और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाता धारकों के लिए सक्षम की गई है। जबकि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर है, बैंकों को ₹5,00,000 और उससे अधिक की राशि के चेकों के मामले में इसे अनिवार्य बनाने की सलाह दी गई है।

एनपीसीआई ने सीटीएस में पॉजिटिव पे की सुविधा विकसित की है जो प्रतिभागी बैंकों के लिए उपलब्ध है, जिससे बैंकों को ग्राहक से एकत्र किए गए जारी चेक विवरण को एनपीसीआई के केंद्रीय भंडार में जमा करने की अनुमति मिलती है।

सीटीएस एनपीसीआई के माध्यम से इनवर्ड क्लियरिंग प्रक्रिया के दौरान इस भंडार को सत्यापित करेगा और प्रत्येक चेक के खिलाफ मिलान ध्वज प्रदान करेगा, जिसके आधार पर आहर्ती बैंक चेक जारी करने की पुष्टि/प्रमाणीकरण के लिए अपने ग्राहक को संदर्भित करेगा और फिर बैंक की नीति के अनुसार चेक का सम्मान/वापसी करेगा।

पॉजिटिव पे सिस्टम की उपरोक्त सुविधा ग्राहक के लिए शाखाओं, इंडसमोबाइल और इंडस नेट पर उपलब्ध है।

#### 5. अन्य नीति के साथ संबंध

अन्य नीति के साथ कोई संबंध नहीं है

#### 6. नीति समीक्षा आवृत्ति

नीति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी या विधायी/नियामक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संशोधन के मामले में, नीति में अगली समीक्षा तक समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।